

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

[शिक्षा मंत्रालय: भारत सरकार]
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2, रायपुर कैम्पस
सेक्टर-8, दीनदयाल उपाध्याय नगर
रायपुर, छत्तीसगढ़-492010



Kendriya Vidyalaya Sangathan

[Ministry of Education, Govt. of India]
Regional Office, Raipur
Kendriya Vidyalaya, No.2, Raipur Campus
Sec-IV, Dindayal Upadhyay Nagar
Raipur, Chhattisgarh-492010

Website: roraipur.kvs.gov.in, E-mail:- dckvsrorpr@gmail.com, ackvsrorraipur@gmail.com, aokvsrorpr@gmail.com, fokvsrorpr@gmail.com

Tel : - 0771-2262912(DC) , 2262913 (AC),

F.32011/केविसं.-क्षेका-रायपुर/RTI/2020/4874

दिनांक: 12.10.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय क्र. CIC /DOP&T /C /2018 / 628739/MOHRD /03274 in file No. CIC /DOP&T /C /2018 / 628739/MOHRD; श्री मोहित कुमार गुप्ता विरुद्ध केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, नया प्रशासनिक भवन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 से संबंधित मामले में उप पंजीयक, केन्द्रीय सूचना आयोग के पत्र क्र. CIC /DOP&T /C /2018 / 628739/MOHRD dt. 02.09.2020 एवं उपायुक्त (प्रशा.) / (केन्द्रीय सूचना आयुक्त व जन सूचना आयुक्त), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के पत्र क्र. 11-PIC064 /3 /2 /2020-PIC (Comp. No. 9294) dt. 16.09.2020 द्वारा सूचना प्रसारित किया गया है | इस संबंध में अधिसूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 (1) (जीवन या स्वतंत्रता) से संबंधित आवेदन पत्र नीचे विनिर्दिष्ट ई-मेल पर भेजा जा सकता है |

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का ई-मेल	cpiokvsrorraipur@gmail.com
शुल्क जमा करने हेतु बैंक कहता का विवरण, यदि आवश्यक हो	खाता का नाम - Kendriya Vidyalaya Sangathan , Regional Office Raipur बैंक का नाम - Union Bank of India शाखा - Lilly Chowk, raipur खाता क्रमांक - 619402010006459 IFSC - UBIN0561941

नोट: यदि आवेदनकर्ता गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी से संबंधित हो तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में ली गई व्यवस्था के अनुसार शुल्क जमा करने से मुक्त होगा | उसे इस संबंध का साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने का साक्ष्य ईमेल से भेजना होगा |

संदेह की स्थिति में अंग्रेजी में प्रसारित पत्र का अवलोकन करें |

यह उपायुक्त महोदया, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अनुमोदन से जारी किया गया |


(एम. बायु)
प्रशासनिक अधिकारी

एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी